सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2, भोपाल, दिनांक 07 अप्रैल, 2021

प्रति,

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
म.प्र.

विषय :– **कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश ।**

संदर्भ :– **विभागीय समसंख्यक परिपत्र क्रमांक एफ 35–09/2020/सी–2/दो, दिनांक 13 मार्च, 2021, 16 मार्च, 2021, 19 मार्च, 2021, 22 मार्च, 2021, 24 मार्च, 2021, 26 मार्च, 2021 एवं 31 मार्च, 2021**

––00––

राज्य शासन द्वारा कोविड–19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में **दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक के लिये** निम्न अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1/ प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे का रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा ।

2/ प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में (दमोह को छोड़कर) शुक्रवार सांय 06.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा । दमोह नगर के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी, दमोह द्वारा निर्णय लिया जावेगा ।

3/ **छिन्दवाड़ा** जिले में दिनांक 08.04.2021 की रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 16.04.2021 की प्रातः 06.00 बजे तक जिले के समस्त नगरीय एवं

ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन जिला कलेक्टर, छिन्दवाड़ा आदेशित कर सकेंगे ।

4/ **बैतूल, रतलाम, खरगौन एवं कटनी** जिलों में दिनांक 09.04.2021 को सांय 06.00 बजे से दिनांक 17.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन जिला कलेक्टर जारी कर सकेंगे ।

5/ **शाजापुर नगरीय क्षेत्र** में दिनांक 07.04.2021 की रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 10.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक लॉकडाउन जिला कलेक्टर, शाजापुर आदेशित कर सकेंगे ।

6/ लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनों से मुक्त रखा जावेगा वे परिशिष्ट में संलग्न है।

7/ सम्पूर्ण प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये जाते हैं । शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे । पाँच कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक नियत होगा। उक्त आदेश दिनांक 31.07.2021 तक प्रभावशील रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

8/ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाईड लाईन्स अनुसार हॉटस्पाट क्षेत्र/कन्टेंनमेंट जोन में 07 से 10 दिवस का लॉकडाउन जिला कलेक्टर लागू कर सकेंगे । इन हॉटस्पाट क्षेत्र/कन्टेनमेंट जोन में आवाजाही पर वे समस्त प्रतिबंध लागू होंगे

जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गाईडलाईन्स में उल्लेखित हैं ।

उक्त दिशा–निर्देशों का समयावधि में तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. राजेश राजौरा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

क्रमांक एफ 35–09 / 2020 / दो / सी–2, भोपाल, दिनांक 07 अप्रैल,2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय गृह मंत्रीजी।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव– कृपया अपने विभाग से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों को उक्त के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।
5. पुलिस महानिदेशक, म.प्र.।
6. समस्त आयुक्त, म.प्र.।
7. समस्त जोनल अति. पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक म.प्र.।
8. समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

परिशिष्ट

गतिविधियाँ जिन्हें लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी

(i) अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन ।

(ii) केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं ATM, दूध एवं सब्जी की दुकानें ।

(iii) औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा / तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों / कर्मचारियों का आवागमन।

(iv) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी / कर्मचारी का आवागमन।

(v) परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।

(vi) एम्बुलैंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें ।

(vii) टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी ।

(viii) बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने–जाने वाले नागरिक

(ix) अन्य गतिविधियाँ जिन्हें जिला कलेक्टर लॉकडाउन से मुक्त रखने हेतु उचित समझें ।